पटना समाहरणालय, पटना
(विधि शाखा)

आदेश

प्रस्तुत मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 4794 / 2013 राज नारायण अकेला बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2013 को पारित न्यायादेश से संबंधित है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी,पटना (प्रतिवादी संख्या–2) को याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन दिनांक 29.08.2012 (अनुलग्नक संख्या–1) पर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

दिनांक 28.05.2013 को इस मामले पर सुनवाई हेतु याचिकाकर्त्ता राज नारायण अकेला के साथ–साथ अंचल अधिकारी, दानापुर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद दानापुर, निजामत, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, मोबारकपुर, दानापुर कैंट, पटना एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर को नोटिस निर्गत किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी को छोड़कर सभी उपस्थित हुये। सभी का पक्ष सुना गया।

आवेदक राज नारायण अकेला का कथन है कि मध्य विद्यालय, मोबारकपुर, जिसका खाता नं0–6, खेसरा सं0–11, थाना सं0–24 के परिसर में एक जल मिनार का निर्माण किया जा रहा है, जिससे विद्यालय का विकास कार्य एवं निर्माण कार्य बाधित होगा। साथ ही छात्र छात्राओं के खेलने का मैदान (प्ले ग्राउंड) भी सीमित हो जायेगा।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) का पक्ष था कि उनके द्वारा प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय, मोबारकपुर, दानापुर से इस संबंध में प्रतिवेदन मांगा गयी कि निर्माणाधीन जल मिनार के निर्माण से विद्यालय का पठन–पाठन बाधित होगा अथवा नहीं। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिवेदित किया गय कि इस निर्माण से विद्यालय का विकास कार्य एवं निर्माण कार्य बाधित होगी तदुपरान्त उन्हें जल मिनार का निर्माण संबंधी अनापति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत करने का आदेश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत, नगर पालिका दानापुर द्वारा पक्ष रखा गया कि अंचल अधिकारी, दानापुर द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद बिहार शहरी आधार भूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको) द्वारा इस जल मिनार का निर्माण किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, दानापुर द्वारा बताया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, का नाम खतियान में दर्ज होने के कारण उन्हें अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। इनका यह भी कहना है कि विद्यालय परिसर, जो करीब 5–6 कठ्ठा में है में जल मिनार के चारों ओर बनायी गयी चाहर दिवारी के कारण विद्यालय का खेल परिसर छोटा हो गया है। इनका यह भी कथन है कि इस संबंध में स्थानीय जनता के साथ माननीय स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में एक बैठक हुयी थी, जिसमे यह निर्णय लिया गया कि बगल के खाली पड़े सरकारी जमीन में बुडको द्वारा एक कमरा बनाकर क्षतिपूर्ति के रूप में विद्यालय को प्रदान की जायेगी, परन्तु अंचल अधिकारी एवं सरकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों, संचिका पर उपलब्ध कागजात वं अन्य संगत साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि बुडको के द्वारा जल मिनार का निर्माण प्रारंभ करने के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारियों नें आपत्ति नहीं की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर को दिनांक 3.07.12 को पत्र भेजा गया साथ ही कार्य भी इसी जुलाई माह में प्रारंभ किया गया। अतः आपत्ति हेतु अवसर उपलब्ध थें। शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बुडको के समक्ष मामले को प्रभावी ढंग से नहीं रखा गया।

जैसा कि अंचल अधिकारी,दानापुर के द्वारा सुनवाई के क्रम में जानकारी दी गयी, स्थानीय माननीय विधायिका की अध्यक्षता में इस संबंध में हुई बैठक में बुडको के द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में विद्यालय को एक कमरा बनाकर देने का निर्णय लिया गया। जल मिनार का निर्माण प्रायः पूर्ण हो गया है अतः अब इसे रोका जाना व्यावहारिक नहीं है। शिकायतकर्ता का मुख्य शिकायत यह है कि बिना विद्यालय के अनुमति ही, जल मिनार बनाया गया जो विरोध करने पर भी नहीं रोका गया। जल मिनार बनाने हेतु वैकल्पिक (Alternative) स्थल रहने पर भी, उसको छोड़कर विद्यालय के जमीन पर बनाया गया। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी,दानापुर निजामत एवं अंचल अधिकारी, दानापुर का संवेदक (Contractor) के साथ मिलीभगत की बात बताई गयी। उनका मांग जल मिनार को हटाया जाना नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिया जाता है किः–

i) बने हुए जल मिनार जो आम जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए है, को हटाना उचित नहीं है। इस योजना में सरकारी राशि खर्च हुई एवं जल मिनार आम जनता के हित में होगा। जल मिनार बनने सें खेलने का मैदान छोटा हुआ है, परन्तु विद्यालय परिसर में ही अन्य स्थल भी खेलने हेतु है।

ii) बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रबंध निदेशक, बुडको, विद्यालय को एक कमरा उपलब्ध कराने के साथ ही जल मिनार की चहारदीवारी को छोटा कर इसे जल मिनार के पिलर के नजदीक तक सीमित कर दें, ताकि बच्चों को खेलने हेतु अपेक्षित स्थान उपलब्ध हो सके।

iii) शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत, दानापुर एवं अंचल अधिकारी, दानापुर के द्वारा इस मामले में बरती गयी लापरवाही के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना),पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत एवं अंचल अधिकारी, दानापुर कारण पृच्छा समर्पित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा इसे 15 दिनों के अंदर प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे।

अतः इस प्रकार आवेदक श्री राज नारायण अकेला द्वारा दिनांक 29.08.2012 के अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित को तत्काल इसकी सूचना दें।

ह0/-

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक V-187/13-2592/दिनांक 4/6/13

प्रतिलिपिः– श्री राज नारायण अकेला, वल्द– स्व0 चन्द्रिका राय, सा0– मुबारकपुर, पो0+थाना– दानापुर, जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0(बुडको), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,स्थापना,पटना को सूचनार्थ एवं कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत,दानापुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना /अंचल अधिकारी,दानापुर/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,दानापुर/प्रधानाध्यापक, मोबारकपुर दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।